भारत सरकार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4361

उत्तर देने की तारीख 29 मार्च, 2022 8 चैत्र, 1944 (शक)

स्टेडियमों का निर्माण

4361.श्री चन्देश्वर प्रसाद:

श्री एस. वेंकटेशन:

श्री सुनील कुमार:

श्री अशोक कुमार यादव:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) बिहार और तमिलनाडु सिहत देश में खेल स्टेडियमों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और जिले-वार ब्यौरा क्या है और इनकी संख्या कितनी है;
- (ख) बिहार और तमिलनाडु सिहत देश में खेल स्टेडियमों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और जिले-वार कुल संख्या कितनी है;
- (ग) बिहार और तमिलनाडु सिहत देश में नए खेल स्टेडियमों के निर्माण के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और जिले-वार उपयोग की गई कुल निधि कितनी है; और
- (घ) क्या सरकार का देश में आधुनिक स्टेडियम बनाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (घ): 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण, स्टेडियमों के निर्माण का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से संबंधित राज्य /संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का होता है। केंद्र सरकार उनके प्रयासों की पूर्ति करती है। देश के विभिन्न हिस्सों में स्टेडियम राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के संबंधित निकायों/विभागों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इस मंत्रालय में उनके बारे में सूचना नहीं रखी जाती है। तथापि, खेलो इंडिया स्कीम के "खेल अवसंरचना के उपयोग और निर्माण / उन्नयन" घटक के तहत, इस मंत्रालय ने समय-समय पर प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर बिहार (11) और तिमलनाडु (5) सिहत देश भर में 2396.49 करोड़ रु. की 289 विभिन्न खेल अवसंरचना परियोजनाओं को संस्वीकृत किया है। इसका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। इन परियोजनाओं का पूरा ब्यौरा इस मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://yas.nic.in/khelo-india-infrastrucutre पर उपलब्ध है।

स्टेडियमों का निर्माण के संबंध में श्री चन्देश्वर प्रसाद, श्री एस. वेंकटेशन, श्री सुनील कुमार और श्री अशोक कुमार यादव, माननीय संसद सदस्यों, लोक सभा द्वारा दिनांक 29.03.2022 के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4361 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

खेलो इंडिया स्कीम के तहत संस्वीकृत खेल अवसंरचना परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा (करोड़ रु.)

			(47(15 (4.)
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृत राशि
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	5.00
2	आंध्र प्रदेश	6	29.30
3	अरुणाचल प्रदेश	21	183.72
4	असम	7	43.18
5	बिहार	11	55.49
6	चंडीगढ़	0	0.00
7	छत्तीसगढ	4	21.10
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0.00
9	दिल्ली	8	89.36
10	गोवा	4	19.10
1 1	गुजरात	5	608.37
12	हरियाणा	10	89.38
13	हिमाचल प्रदेश	8	38.10
14	जम्मू और कश्मीर	5	28.56
15	झारखंड	2	10.38
16	कर्नाटक	19	128.52
17	केर ल	5	62.74
18	लद्दाख	3	14.28
19	लक्षद्वीप	2	9.00
20	मध्य प्रदेश	12	85.64
21	महाराष्ट्र	12	103.80
22	मणिपुर	8	80.45
23	मेघालय	6	28.00
24	मिजोरम	7	39.00
25	नगार्लंड	7	45.00
26	ओडिशा	4	28.00
27	पुडुचेरी	3	16.02
28	पंजाब पंजाब	10	88.21
29	राजस्थान	42	103.26
30	सिक्किम	5	25.83
31	तमिलनाडु	5	33.00
32	तेलंगाना	6	24.11
33	त्रिपुरा	4	21.05
34	उत्तर प्रदेश	31	188.99
35	उत्तराखंड	5	23.78
36	पश्चिम बंगाल	1	26.77
	कुल	289	2396.49
